न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
140/प्रा.पत्र/2019 (आनलाईन 2019/00341)	22.10.2019	09.03.2024

रामचन्द्र आ0 मन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम चांदनहेली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेडा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता निर्माण अन्तर्गत धारा 251–क (1) आर.टी. एक्ट

उपस्थित अभिभाषक:–

अभिभाषक प्रार्थी :– श्री नन्द सिंह
अभिभाषक अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट सपठित सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 68 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 320 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम चांदनहेली पटवार मण्डल देहित तहसील तालेडा में स्थित है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन का मार्ग अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1016 रकबा 5 बिस्वा जो ग्राम बाजड़ पटवार हल्का बाजड़ तहसील तालेडा में विस्थित है से नवीन मार्ग सृजित होगा। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से आपसी समझाईस व सहमति से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि पर रास्ता कृषि भूमि पर पहुंच हेतु आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि पर पहुंच का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वादग्रस्त आराजी ग्राम चांदनहेली तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वादपत्र को सुनने व निर्णय करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा को आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जर्ये पत्रांक 145 दिनांक 20.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के खसरा संख्या 320 रकबा 0.2914 हैक्टे. भूमि खातेदार रामचन्द्र आत्मज मन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम चांदनहेली पटवार मण्डल देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित मार्ग न्यूनतम है एवं अन्य कोई रास्ता पूर्व से पहुंच हेतु नही है। ग्राम चांदनहेली के खसरा संख्या 320 रकबा 0.2914 हैक्टे. किस्म नहरी II खातेदार रामचन्द्र आ0 मन्ना जाति मीणा सा. हेतु आवेदित किया गया है। ग्राम बाजड़ की ख.सं. 1016 रकबा 0.0405 हैक्टे. किस्म नहरी II खातेदार राजस्थान सरकार [illegible] किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि राजस्थान सरकार सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। [illegible]त रास्ते हेतु लम्बाई चौडाई (76 मीटर लम्बाई उत्तर दिशा की तरफ चौडाई 4 मी[illegible] होगी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धार[illegible]–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि पर रेकार्ड में रास्ता नही होने एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं उपकरण इत्यादि की पहुंच हेतु रास्ता लिया जाना महती आवश्यकता है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि पर पहूँच हेतु नियमानुसार तहसीलदार तालेड़ा को रास्ता सृजन करने के लिए आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harjinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जिस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन अंकित कर रास्ता चाहा गया है उसे दिया जाना न्यायोचित है रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा द्वारा अपनी रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव प्रकट है एवं प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है तथा नियमान्तर्गत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 320 रकबा 0.2914 हैक्टे. वाके ग्राम चांदनहेली पटवार मण्डल देहित तहसील तालेडा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए खातेदार राजस्थान सरकार की खातेदारी की आराजी ख0सं0 1016 रकबा 0.0405 हैक्टे. में से (76 मीटर लम्बाई उत्तर दिशा की तरफ चौडाई 4 मीटर) 0.0151 हैक्टे. भूमि संलग्न नक्शानुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जाये तथा रास्ता का सीमांकन किया जाये। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी से 76 मीटर लम्बाई उत्तर दिशा की तरफ चौडाई 4 मीटर कुल 0.0151 हैक्टे. भूमि की एवज में वर्तमान डी.एल.सी. की दुगुनी राशि राजकोष में जमा किया जावे तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थी रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेंगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेड़ा एवं प्रार्थी को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या....01.........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या....01..........
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.27 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested